



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10—मई 16, 2008 (वैशाख 20, 1930)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10—MAY 16, 2008 (VAISAKHA 20, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. आरएस./3/7(1)/2008/14-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद), के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 12,750-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :-

1. श्री चन्द्रशेखर मिश्र
2. श्री बीरेन्द्र कुमार

सो. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. आरएस./6/4/2008/21-कार्मिक--श्री आर. सम्यत, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिवक, श्री बी. नारायणसामी के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में राज्य सभा सचिवालय में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 6 अप्रैल, 2008 से

15 दिन की परिसमापन अवधि प्रदान करने के बाद 22 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से समाप्त कर दी गई है।

सो. बी. राय, संयुक्त निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. ए-19011/02/2008-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री के. सी. वर्मा, भा.पु.से. (झारखंड : 71) को 8 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (31.08.2009) तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

अंतरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 12/6/11/2004-I--श्री पी. मुखर्जी, भा. प्रशा. एवं ले. प. सेवा (80) ने पारंपरिक स्थानान्तरण के आधार पर परमाणु ऊर्जा विभाग में

5261/08

संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 16 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से अन्तरिक्ष विभाग में संयुक्त सचिव (वित्त) का पद छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2008

सं. ए-12023/6/2007-प्रशा. III(वि.का.)--राष्ट्रपति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जॉर्ज जॉर्ज के. को दिनांक 23.04.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

सं. ए-12023/16/2007-प्रशा. III(वि.का.)--राष्ट्रपति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अरुमुखा मोहन अल्लकसनी को दिनांक 23.04.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक आयकर अपील अधिकरण में लेखा सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं. वी.13016/5/2007 यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री विजय कुमार शाली, (ii) श्री मनमोहन सिंह, (iii) श्री राजिव महाय एन्डली, (iv) श्री जग जीवन राम मिड्डल, (v) श्री राजीव शकधर, (vi) श्री सुनील गौड़ तथा (vii) श्री मूल चन्द गंग को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. गुर्गु निदेशक (न्याय)

दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. के.13013/1/2007-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रेड्डि कान्ता राव को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. गुर्गु निदेशक (न्याय)

सं. के.13013/1/2008-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र

प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री नूति राम मोहन राव तथा (ii) न्यायविद् श्री चिंतला वैकटा नागारजुना रेड्डि को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. गुर्गु निदेशक (न्याय)

दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. के.13014/2/2007-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री अशोक पीतांबर भंगाले, (ii) श्री आनन्द वसन्त निरगुडे, (iii) श्री राजीव यदुनाथ गानू, (iv) श्री नंद किशोर दिगंबर देशपाण्डे, (v) श्रीमती रेखा प्रकाश सौंदर्यलक्ष्मी तथा (vi) श्री कैलास चंद उत्तम चंद चांदीवाल को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए सम्बर्द्ध उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. गुर्गु निदेशक (न्याय)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. के.11019/3/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री तीर्थ सिंह ठाकुर को, न्यायविद् डॉ. मुकुन्द काम शर्मा की नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तारीख से, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.13011/1/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् डॉ. मुकुन्द काम शर्मा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. के.13028/4/2007 यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री किशन स्वल्प चौधरी, (ii) श्री चांद मल होतला तथा (iii) श्री महेश चन्द्र भागवत को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. के.13024/3/2007-यू.एस.-1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मोनाक्षी सुन्दरम् सत्यनारायणन को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.13022/2/2007-यू.एस.-1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती माकुस्ली चोलेकोड हरि राणि को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से दो वर्ष की अवधि के लिए कोरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.13014/3/2007-यू.एस.-1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री संतोष चंपालल बोरा और (ii) श्री आशुतोष अरविंद कुंभकोणी को उसी शरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.11017/5/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री प्रदीप कुमार भद्रायुलाल मजमुंदार को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को या इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.11017/6/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री राम पवन मिश्र को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को या इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2008

सं. 14011/1/2006-एसआर (भाग)-इस मंत्रालय की दिनांक 18.1.2008 की सम्पत्तिका अधिसूचना के अनुक्रम में श्री के. एन.

मैजुनाथ, उप-निदेशक, थलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली को उप-सचिव आंचलिक परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के रूप में इस पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को, समान शर्तों पर तीन महीने की और अवधि अथवा नये पदाधिकारी द्वारा इस पद का कार्यभार ग्रहण करने, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

सुमिता मुखर्जी, निदेशक

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 अप्रैल 2008

सं. 4/6/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एम. एस. सोढ़ी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 12 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन तथा संचार) नियुक्त करते हैं।

ए अशोलि चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2008

सं.-13017/42/2007-अ.भा.से.-(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों की सहमति से श्री आर. सी. पी. सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 84) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग से बिहार संवर्ग में अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 15.12.2010 तक अथवा अगले आदेश होने तक, उनमें से जो भी पहले हो, मुख्य मंत्री के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति को जारी रखने के लिए एतद्वारा बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डैस्क अधिकारी

दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं.-13017/50/2007-अ.भा.से.-(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महाराष्ट्र तथा झारखण्ड सरकार के परामर्श से श्रीमती एम. एन. केरकेटा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 94) की, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में पांच वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अन्तःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डैस्क अधिकारी

दिनांक 25 अप्रैल 2008

सं.-13017/26/2004-ए.आई.एस.-(1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखण्ड सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री लालबिचकधुअंगा खियंगते, भा.प्र.से. (झारखण्ड : 88) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखण्ड संवर्ग से

भारतीय प्रशासनिक सेवा (मिजोरम) के एजीएमयू संवर्ग में 17.1.2008 के आगे 2 वर्ष की अवधि के लिए अंतःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति के विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डैस्क अधिकारी

सं.-13017/45/2007-ए.आई.एस.- (1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डॉ. रंजन सुंकारिया, भा.प्र.से. (पंजाब : 88) को भा.प्र.से. के पंजाब संवर्ग से भा.प्र.से. के एजीएमयू (चंडीगढ़) संवर्ग में तीन वर्षों की अवधि के लिए आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ प्रशासन के पद पर नियुक्ति हेतु दो मई अंतःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. ए-32013/2/2006-प्रशा. I (जी)--राष्ट्रपति, श्री सुरेश चतु. केन्द्रीय सचिवालय सेवा को दिनांक 22 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में 14,300-400-18,500/- रुपये के वेतनमान में मुख्य कल्याण अधिकारी (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करती है।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. 14015/03/2006-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, असम की राज्य सिविल सेवा के श्री गणेश कुमार कलिता को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2006 की रिक्तियों पर परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत उनका आर्बटन असम-मैमालय के संयुक्त संवर्ग के असम खण्ड में करते हैं।

एम. एस. शुक्ला, अवर सचिव

निदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. क्यू.पी.ए.-1/30/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-II में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी के 08 मार्च

2008 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानांतरण रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती है :-

क्रम	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
1.	श्रीमती सुष्मिता सांगुली थोमस	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में 8.03.2008 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अखिलो विमल, अवर सचिव (एफ एस पी)

सं. 9/पी.ए.-II/2008--सुश्री एस. जिना जनेय, भारतीय विदेश सेवा (परिक्षाधीन), 2006 बैच, विवाह हो जाने के परिणामस्वरूप अब से श्रीमती जिना उडका के तौर पर जानी जाएगी।

अखिलो विमल, अवर सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 01 अप्रैल 2008

सं. क्यू.पी.ए.-1/31/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड के अधिकारी श्रीमती बानी एवं श्री इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानांतरण रूप से कार्य करने के लिए 01 जनवरी 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करती है।

2. श्रीमती बानी राव को 01.01.2007 (पूर्वाह्न) से भा.वि.से. के ग्रेड IV में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के 15 जुलाई, 1983 के का.ज्ञ.सं. 8/4/84 तथा (वेतन-1) की शर्तों के अनुरूप प्रोफरती पदोन्नति के आधार पर की जाती है।

अखिलो विमल, अवर सचिव (एफ एस पी)

कार्यालय : प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली दिनांक 20 मार्च 2008

सं. डी-III/460/सीएफ-34/2007--भारत के राष्ट्रपति ने श्री जीन-जोएल सिट्कैट की मृत्यु में बेलिजियम साम्राज्य के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री जीन-जोएल सिट्कैट के कौंसली क्षेत्राधिकार में आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कोरप, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा संघ शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा पॉन्डिचेरी होंगे।

डॉ. बी. शर्मा, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. ए.22011/2/2008-प्रशा. II--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 02.04.2008 के का. ज्ञा. सं. 32014/1/2007-सीएस के

अनुसरण में, सीएसएस के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से 30.6.2008 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री स्वर्ण रुद्रा	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ओमवीर सिंह निर्भय	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री रीता सचदेव	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
4.	श्री असपाल सिंह यादव	02.04.2008 (पूर्वाह्न)

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपर्युक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :--

(क) तदर्थ नियुक्ति, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, उन्हें अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने का या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में बरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

(ख) बरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने या अगले आदेशों तक तदर्थ व्यवस्था चलती रहेगी। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में नियमित अनुभाग अधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

बी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2008

सं. ए.12011/09/2007-प्रशा. 1ए-राष्ट्रपति, डॉ. जहांगीर अब्जीज को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 22,400-525-24,500/- रु. के वेतनमान में 25 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सचिवा के आधार पर प्रधान आर्थिक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) नियुक्त करते हैं।

एस. के. वर्मा, निदेशक

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं. ए-19011/281/2008-स्थापना-राष्ट्रपति, श्री समीर कुमार सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एएम : 94), को दिनांक 1 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से दिनांक 27.03.2011 तक की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

2-5261/08

में 12,750-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री समीर कुमार सिन्हा का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 6.3.2006 से गिना जाएगा।

बलराम, अवर सचिव

दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना-राष्ट्रपति, श्री टी. के. दास, वित्त मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक को दिनांक 2 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2008 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित व्यक्ति के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

“इस अल्पावधि प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और इस ग्रेड में अल्पावधि आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।”

बलराम, अवर सचिव

दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. ए-19012/160/2005-स्थापना-राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री डी. डी. माहेश्वरी को दिनांक 10 अप्रैल, 2008 से अगला आदेश होने तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगी :--

- इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में बरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- उन्हें दो वर्षों की अवधि के भीतर, सचिवालय सेवा का 'ब' स्तर का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।
- उपरिलिखित नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के एम. ए. सं. 2170/2006, का.आ.सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 के आदेश के अधीन होगी।

बलराम, अवर सचिव

दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. ए-19011/283/2008-स्थापना-श्रीमती सुमिता खररा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए.पी. : 91), को दिनांक 21 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न)

से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में 15,100-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बलराम, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली- 110001, दिनांक 12 मार्च 2008

सं. पी.एफ.जी.(946)/08-प्रशासन-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.02.2008 के आदेश संख्या 5/11/2007-सी.एस.-II के अनुसरण में तथा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 10.03.2008 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32014/1/2006-प्रशासन-1(i) के तहत सीएसएसएस की निजी सचिव श्रीमती एम. जयलक्ष्मी ने कार्यभार से मुक्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक 10.03.2008 के पूर्वार्ह से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. सी. बली, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. ए-22012(1)/2007-आ.स. (प्रशा.-I)--भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4 पद पर पदोन्नति होने पर श्रीमती रेणू भटनागर ने आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सहायक निदेशक (आर्थिक सेवा के ग्रेड-4) पद पर रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 11.4.2008 (अपराह) को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

समरेन्द्र साहू, अपर आर्थिक सलाहकार

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. ए-38012/2/2008-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सहायक सेवा संवर्ग के अवर सचिव (सीएसएस सं. 3621 : डी.ओ.जी. : 27.03.1948), श्री टी. सी. हिगोरानी 31 मार्च, 2008 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जोस धोमस, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. 8/2008 (ए-12022/8/2005-स्था.)--वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 03.04.2006 की अधिसूचना सं. 7/2007 में आंशिक संशोधन करते हुए वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत श्री भूपेन्द्र सिंह, आईएएस (3.30 : 85) का कार्यकाल 09.01.2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

मुक्ता निधि समन्वय, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2008

सं. ए-12011/11/2006-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मार्च 2006 के का. ज्ञा. संख्या 5/21/2005-सी.एस.-II की शर्तों पर, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के संवर्ग से संबंधित, सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड ए और बी (विलयित), श्री एस. श्रीकुमार को 3 मार्च, 2008 के पूर्वार्ह से 30.06.2008 तक या नियमित पी पी एस उपलब्ध होने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 10,000/- 15,200/- रु. के वेतनमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति सर्वथा तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने का या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं. ए-32011/1/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 फरवरी, 2008 एवं 24 मार्च, 2008 के का. ज्ञा. संख्या 5/11/2007-सी.एस.-II की शर्तों के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में धारित सीएसएसएस के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग', श्री जगदीश चन्द को 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में प्रारम्भ में 31 मार्च, 2008 के पूर्वार्ह से 30.6.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए सी एस एस एस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' विलयित के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. ए-12011/4/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार, भा.7. से. (ए जी एम यू टो : 92) को निजी सचिव के रूप में उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 9.3.2011 तक अथवा जब तक वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद न कर दें अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राज्य मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) (श्री दिनेश जे. गटेल) की निजी सचिव के पद से "पारिवर्तिक स्थानापन्न" आधार पर निदेशक के स्तर पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुल्ती देवरा) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

सं. ए-32011/3/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2008 के आदेश संख्या 4/1/2006-सी.एस.-I के अनुसरण में पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक, श्री यू. सी. भांगिया (सी एस एस) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक

गैस मंत्रालय में 6 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2008

सं. ए-19011/04/08-स्या.--राष्ट्रपति, श्री वाई. थंगराज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव को 4 मार्च, 2008 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं. 5/6/2007-सीएस-II के अनुसरण में 10 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक रसायन और पेट्रोसायन विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (सीएसएसएस) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ पदोन्नति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चवन सूची में शामिल किए जाने या सीएसएसएस (पीपीएस ग्रेड) में वरीयता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और इसे बिना कोई कारण बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

आर. के. कुरील, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. ए-32013/1/2007-प्रशासन--इस विभाग के दिनांक 15.2.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति लोक उद्यम विभाग में नियमित सहायक निदेशक, डॉ. प्रमोद कुमार को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 15.2.2008 (पूर्वाह्न) से अगले छः माह अथवा प्रसंगोद्गीत पद को नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो पहले हो, उप निदेशक (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

ज्योति माथुर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. ए-12025/271/2006-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. डेविड लालरिन्जुआला खालरिंग को 28.03.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. डेविड लालरिन्जुआला खालरिंग को आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. डेविड लालरिन्जुआला खालरिंग दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/163/2006-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संजय कुमार को 11.05.2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. संजय कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. संजय कुमार दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. ए-12025/86/2006-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शालिनी केलकर को 09.04.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. शालिनी केलकर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. शालिनी केलकर दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. ए-32020/1/2008-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे, का 12.11.2007 को निधन हो जाने पर दुःख व्यक्त करती है।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 25 अप्रैल 2008

सं. ए-12025/59/2005-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. एम. माहेस्वरी को 9 अगस्त, 2007 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. एम. माहेस्वरी को पञ्चन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. एम. माहेस्वरी दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. ए-2011/1/07-स्यापना-I-गृह मंत्रालय के दिनांक 26.03.2008 के कार्यालय आदेश संख्या 5/1/2004/रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इस समय तदर्थ आधार पर पदेन कार्यरत श्री राम किशन बाबूदी, सहायक निदेशक (राजभाषा) को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से 7,500-250-12,000/- रुपये के

वेतनमान में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर तत्काल प्रभाव से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. ए-38012/6/2007-प्रशासन-1--अधिकवर्धित की आयु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. गौतम देबनाथ, अतिरिक्त उप महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिनांक 31.03.2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अरुण चौधरी, उप निदेशक प्रशासन (ए.सी.)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. 4-8/2003-मा. प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री रवि शंकर नेमानी को केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर में दिनांक 17.3.2008 (पूर्वाह्न) से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी), सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिनीय के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. एफ.19013/3/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. एम. मिश्रा, आई.एफ.एस. (आर.जे. : 82) को 11 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से उनके 5 वर्षों के सामान्य केन्द्रीय कार्यकाल के पूरा होने तक की अवधि के लिए अर्थात् 10.04.2013 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. गर्ग, निदेशक

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. एफ. 1-18/2004-युवा सेवा-1--नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नियमों के नियम 9 (क) के अनुसरण में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी मंडल में सुश्री मीनाक्षी नटराजन, उपाध्यक्ष को पुनः नामित किया जाता है।

2. सुश्री मीनाक्षी नटराजन की सदस्यता की अवधि तीन वर्ष दिनांक 16.5.2008 से 15.5.2011 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी। वह वर्तमान में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उप-नियमों तथा नियमों की अन्य प्रावधानों के अधीन होगी।

शारदा अली खान, निदेशक (युवा कार्य)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. पी. एफ./डो/30 प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री डो. पी. भारद्वाज, भारतीय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी को दिनांक 29 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उपसचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. एम. कुंडलिया, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 09 अप्रैल 2008

सं. 12025/1/2002-स्था.(भाग)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 21.01.2008 के पत्र संख्या 3/45(4)/2007-एडीटी-2 द्वारा नामांकन किए जाने के परिणामस्वरूप डॉ. (श्रीमती) धूम शीवास्तव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय में 28 मार्च, 2008 के अपराह्न से अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिनीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. 48011/1/2008-स्था.--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में श्री आर. एस. सिरोही, भा.प्र.से. (एम. पी. : 74) को सचिव के पद पर 03.03.2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. ए-12025/1/2008-प्रशासन 2--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वर्ग 'क' अधिकारी श्री मधुसूदन प्रसाद को, तदर्थ आधार पर, दिनांक 17.04.2008 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक अथवा नियमित निदेशक (रा. भा.) उपलब्ध होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए, दूरसंचार विभाग में, रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान वाले निदेशक (राजभाषा) के पद पर सहर्ष, नियुक्त करते हैं।

राजेश्वर दयाल, उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. ई.(जी.पी.)/2002/149--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई.(जी.पी.)/2002/149 दिनांक 9 नवम्बर 2006 और सं. ई.(जी.पी.)/2003/149 दिनांक 9.11.2006 में आंशिक आशोधन करते हुए, राष्ट्रपति

महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे के नीचे उल्लिखित भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 2 ग्रुप की अधिकारियों को विनिर्दिष्ट तारीखों से सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :

अधिकारियों का नाम	नियुक्ति जिस तारीख से प्रभावी होगी
वर्ष 2003-04 के लिए पैनल	
दक्षिण पूर्व रेलवे	
श्री अनिरुद्ध साहू (ईकोर में कार्यरत)	17.2.2005
वर्ष 2003-04 के लिए पैनल (पूरक)	
दक्षिण पूर्व रेलवे	
श्री एस. के. आचार्य (ईकोर में कार्यरत)	14.9.2006
	मैथ्यू जॉन, सचिव रेलवे बोर्ड

दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. ईआर बी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2008 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं :-

श्री/सर्वश्री

1. राजेश राही	उप निदेशक
2. एस. सी. सहगल	अनुभाग अधिकारी
3. एम. आर. शर्मा	अनुभाग अधिकारी
	मैथ्यू जॉन, सचिव रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी.पी.)/2007/3/17 A--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के रेल सुरक्षा बल के श्री मोहिन्दर सिंह (अ.जा.), निरीक्षक, (ग्रुप-सी) की 04.06.2004 से ग्रुप-ए के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2001 के पैनल में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. ए-32014/1/2007-ई-1--राष्ट्रपति, पोत परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में निम्नलिखित नियमित सहायकों (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) को दिनांक 31.03.2008 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान तक तदर्थ आधार

3-52 41/08

पर अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	जिस तारीख तक तदर्थ पदोन्नति प्रभावी है
1.	श्री ए. के. रंजन	30.06.2008
2.	श्री एम. एस. कौथ	30.06.2008
3.	श्री एस. सी. सूद	28.06.2008
4.	श्री ए. एम. मेहता	28.06.2008

2. यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और उस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

पूषिमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2007

सं. 09/2008-मि.सं.ए.-38012/1/2008-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम	अधिकारी का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री ओम कान्त शुक्ला	17.03.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री सौमन चर्मा	02.04.2008 (पूर्वाह्न)

2. यह अधिकारी पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 10/2008-मि.सं.ए.-38012/1/2008-प्रशा.एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी भारत सरकार की सेवा से अपने नाम के आगे दी गई तिथि के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं :-

क्रम	अधिकारी का नाम	पद का नाम	अधिवर्षिता की तिथि
1.	श्री के. एस. मुन्डी	सहायक निदेशक-एक	29.02.2008
2.	श्री आर. के. अग्रवाल	निदेशक	31.03.2008

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 11/2008-मि.सं.ए.-38012/1/2008-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, श्री अभय कुमार गुप्ता की रेल मंत्रालय में नियुक्ति होने पर, जेकि

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक ग्रेड-एक के पद पर कार्यरत थे, उनका त्यागपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 के अपराह्न से स्वीकृत करते हैं।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 12/2008-मि.सं.ए.-38012/1/2008-प्रशा.एक- -राष्ट्रपति, श्री मुकेश कुमार मरोठिया की सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में नियुक्ति होने पर, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक ग्रेड-एक के पद पर कार्यरत थे, उनका त्यागपत्र, दिनांक 07 मार्च, 2008 के अपराह्न से स्वीकृत करते हैं।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 13/2008-मि.सं.ए.-38012/1/2008-प्रशा.एक--केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा, पेंशन नियमों, 1972 के नियम, 48-क के अंतर्गत, भारत सरकार की सेवा से स्वेच्छा से अपने नाम के आगे दी गई तिथि के पूर्वाह्न से सेवा मुक्त हो गए हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	अधिवर्षिता की तिथि
1.	श्री जे. एन. माधुर	निदेशक	24.03.2008
2.	श्री एम. सुब्रमण्यन	मुख्य अभियन्ता	25.03.2008

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2008

सं. ए-12018/4/2005-प्रशासन/एसएफएस/एसएस--महामहिम राष्ट्रपति, श्री वी. एस. तिवारी को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 1,000/- रु. प्रतिमाह का विशेष भत्ता सहित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में सुरक्षा उपायुक्त (नागर विमानन) के पद पर अप्पेलन के आधार पर दिनांक 04 जून, 2007 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. गौरी शंकर. अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. 3/2008 (फाईल सं. 3/9/2004-स्थापना-एक)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल आयोग (समूह 'ख') सेवा के निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक निदेशकों को उनके नाम के आगे दर्शायी तारीख में, रुपये 8,000-15,500/- के वेतनमान में, निर्दिष्ट रूप से पदोन्नति कर केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	अर्जुन प्रसाद	27.02.2007 (पूर्वाह्न)
2.	अनिल कुमार सिंह	29.03.2007 (पूर्वाह्न)
3.	अनिल कुमार सिन्हा	29.03.2007 (पूर्वाह्न)
4.	कामेश्वर तिवारी	22.02.2007 (पूर्वाह्न)
5.	अरुण कुमार झा	22.02.2007 (पूर्वाह्न)
6.	बृज किशोर	22.02.2007 (पूर्वाह्न)
7.	राधे श्याम सिंह	22.02.2007 (पूर्वाह्न)
8.	एम. पी. सिंह	21.02.2007 (पूर्वाह्न)
9.	अशोक कुमार सिंह	08.03.2007 (पूर्वाह्न)
10.	बी. रमेश	05.03.2007 (पूर्वाह्न)
11.	अजय कुमार सिन्हा	29.10.2007 (पूर्वाह्न)
12.	एन. कृष्णा	26.02.2007 (पूर्वाह्न)
13.	एस. ए. खान	21.02.2007 (पूर्वाह्न)
14.	देवेन्द्र प्रसाद सिंह	22.02.2007 (पूर्वाह्न)
15.	अभय कुमार सिंह	22.02.2007 (पूर्वाह्न)
16.	ए. के. एल. दास	20.02.2007 (पूर्वाह्न)
17.	एच. जेड्. कुरैशी	20.02.2007 (पूर्वाह्न)
18.	आर. के. झा	27.02.2007 (पूर्वाह्न)
19.	सिस पाल गिल	04.05.2007 (पूर्वाह्न)
20.	पी. राजेन्द्रन	20.02.2007 (पूर्वाह्न)
21.	गुरुप्रसाद जे.	21.02.2007 (पूर्वाह्न)
22.	डी. के. गंगधर	21.02.2007 (पूर्वाह्न)
23.	ए. थरानीराजन	21.02.2007 (पूर्वाह्न)
24.	अजय कुमार	23.02.2007 (पूर्वाह्न)
25.	आर. के. बेहेरा	23.02.2007 (पूर्वाह्न)
26.	एन. सी. नन्दा	23.02.2007 (पूर्वाह्न)
27.	ए. कृष्ण राव	22.02.2007 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th April 2008

No. RS/3/7(1)/2008/14-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Deputy Director (E&T) in Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Director (E&T) in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders :—

1. Shri Chandra Shekhar Mishra
2. Shri Birendra Kumar

C. B. RAI, Jt. Dir.

The 24th April 2008

No. RS/6/4/2008/21-Perl.—The services of Shri R. Sampath, who had been appointed as Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Shri V. Narayanasamy, former Chief Whip of Indian National Congress Party in Rajya Sabha, stand terminated w.e.f. the forenoon of 22nd April, 2008, after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 6th April, 2008.

C. B. RAI, Jt. Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 21st April 2008

No. A-19011/02/2008-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri K. C. Verma, IPS(JH : 71) as Secretary (Security), Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 8th April, 2008, for a period of two years or till the date of superannuation (31.8.2009), whichever is earlier.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 16th April 2008

No. 12/6/11/2004-I.—Consequent on his appointment as Joint Secretary, in the Department of Atomic Energy, Mumbai, on lateral transfer basis, Shri P. Mukherjee, IA&AS(80), has relinquished the charge of the post of Joint Secretary (Finance), in the Department of Space with effect from the forenoon of April 16, 2008.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 25th April 2008

No. A-12023/6/2007-Admn. III (LA).—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act,

1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint Shri George George K as Judicial Member of the Income Tax Appellate Tribunal with effect from the forenoon of 23.04.2008 and until further orders.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

No. A-12023/16/2007-Admn. III (LA).—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint Shri Arumugha Mohan Alankamony as Accountant Member of the Income Tax Appellate Tribunal with effect from the forenoon of 23.04.2008 and until further orders.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 7th April 2008

No. K. 13016/5/2007-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Vijay Kumar Shali, (ii) Shri Manmohan Singh, (iii) Shri Rajiv Sahai Endlaw, (iv) Shri Jag Jivan Ram Midha, (v) Shri Rajiv Shakhder, (vi) Shri Sunil Gaur and (vii) Shri Mool Chand Garg to be Additional Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

K. GURTU, Dir. (Justice)

The 8th April 2008

No. K. 13013/1/2007-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Reddi Kantha Rao, to be an Additional Judge of the Andhra Pradesh High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

No. K. 13013/1/2008-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Nooty Ramamohana Rao and (ii) Shri Justice Chinthala Venkata Nagarjuna Reddy, Additional Judges of the Andhra Pradesh High Court as Permanent Judges of that High Court, in the same order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

K. GURTU, Dir. (Justice)

The 11th April 2008

No. K. 13014/2/2007-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, The President is pleased to appoint (i) Shri Ashok Pitamber Bhangale, (ii) Shri Anand Vasant Nirgude, (iii) Shri Rajiv Yadunath Ganoo, (iv) Shri Nandkishor Digambar Deshpande, (v) Smt. Rekha Prakash Sondur Baldota, and (vi) Shri Kailaschand Uttamchand Chandiwal, to be Additional Judges of the Bombay High Court, in the same order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

K. GURTU, Dir. (Justice)

New Delhi-110011, the 4th April 2008

No. K. 11019/3/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Tirath Singh Thakur, seniormost Judge of the Delhi High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Dr. Justice Mukundakam Sharma relinquishes charge of the office of Chief Justice of the Delhi High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

No. K. 13011/1/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Dr. Justice Mukundakam Sharma, Chief Justice, Delhi High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

The 10th April 2008

No. K. 13028/4/2007-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Kishan Swaroop Chaudhari, (ii) Shri Chand Mal Tolia and (iii) Shri Mahesh Chandra Bhagwati, to be Additional Judges of the Rajasthan High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

The 15th April 2008

No. K. 13024/3/2007-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Meenakshi Sundaram Sathyanarayanan, to be an Additional Judge of

the Madras High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

No. K. 13022/2/2007-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Smt. Mavuthi Cholakkode Hari Rani, to be an Additional Judge of the Kerala High Court, for a period of two years with effect from the date she assumes charge of her office.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

No. K. 13014/3/2007-US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Santosh Champalal Bora and (ii) Shri Ashutosh Arvind Kumbhakoni, to be Additional Judges of the Bombay High Court, in the same order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

No. K. 11017/5/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Pradeepkumar Bhudrayulal Majumdar, Judge, Rajasthan High Court as Judge, Bombay High Court and to direct him to assume charge of the office of the Judge of the Bombay High Court on or before 30th April, 2008.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

No. K. 11017/6/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Ram Bhawan Misra, Judge, Gauhati High Court as Judge, Himachal Pradesh High Court and to direct him to assume charge of the office of the Judge of the Himachal Pradesh High Court on or before 30th April, 2008.

RAMESH ABHISHEK, Jr. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th April 2008

No. 14011/1/2006-SR (Part).—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 18.1.2008, the period of deputation of Shri K. N. Manjunatha, Deputy Director in the Army Head Quarters, New Delhi as Deputy Secretary, Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, New Delhi, is extended on the same terms and conditions for a further period of 3 months with effect from 1st April 2008, or till the new incumbent joins the post, whichever is earlier.

SUMITA MUKHERJEE, Dir.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 25th April 2008

No. 4/6/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Sodhi, as Adviser (Transport & Communication) on deputation basis for a period of 3 (Three) years in the North Eastern Council Secretariat, Shillong with effect from the forenoon of 12th February, 2007.

A. ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 2nd April 2008

No. 13017/42/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Bihar, the Central Government hereby accords approval for the extension of the inter cadre deputation of Shri R.C.P. Singh, IAS (UP : 84) from the IAS cadre of Uttar Pradesh to the IAS cadre of Bihar, for continuing as the Secretary to the Chief Minister for a period upto 15.12.2010 or until further orders, whichever is earlier.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

The 7th April 2008

No. 13017/50/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Maharashtra and Jharkhand, the Central Government hereby accords approval for the inter cadre deputation of Smt. M. N. Kerketta, IAS (MH : 94) from the IAS cadre of Maharashtra to the IAS cadre of Jharkhand for a period of five years.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

The 25th April 2008

No. 13017/26/2004-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Jharkhand and the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby accords approval for the extension of inter cadre deputation of Shri Lalbiaktluanga Khiante, IAS (JH : 88) from Jharkhand cadre of the IAS to AGMU cadre of the IAS (Mizoram) for a period of 2 years beyond 17.01.2008.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

No. 13017/45/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Punjab and the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby accords approval for the inter cadre deputation of Dr. Roshan Sunkaria, IAS (PB : 88) from Punjab cadre of the IAS to AGMUT (Chandigarh) cadre of the IAS for appointment to the post of Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh Administration for a period of three years.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

New Delhi, the 11th April 2008

No. A-32013/9/2006-Ad. I(G).—The President is pleased to appoint Shri Suresh Pal, CSS, as Chief Welfare Officer (Director level) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 22nd February, 2008 until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 21st April 2008

No. 14015/03/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Ganesh Kr. Kalita, a member of the State Civil Service of Assam to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2006 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Assam segment of the Joint Assam-Meghalaya Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th March 2008

No. Q/PA-1/30/2008.—The President is pleased to appoint the under-mentioned officer presently in Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 8th March 2008 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Ms. Sushmita Gungulee Thomas	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 08.03.2008 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

No. 9/PA-II/2008.—Consequent upon her marriage, Ms. S. Gina Zaneta, Indian Foreign Service (Probationer) of the 2006 Batch, shall hereafter be known as Mrs. Gina Uika.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 1st April 2008

No. Q/PA-I/31/2008.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 01st January, 2007 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Smt. Vani Rao	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

2. The appointment of the above officer to Grade-IV of the IFS w.e.f. 01.01.2007 (F/N) is on the basis of a Proforma promotion in terms of O.M. No. 8/4/84-Estt. (pay-I) dated the 15th July, 1985 of the Ministry of Personnel & Training.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 20th March 2008

No. D-III/460/CF-34/07.—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. Jean-Joel SCHITTECATTE as Consul General of the Kingdom of Belgium in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Jean-Joel SCHITTECATTE comprises the States of Andhra Pradesh, Goa, Gujrat, Kerala, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu and Union Territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Pondicherry.

D. K. SHARMA, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 9th April 2008

No. A-22011/2/2008-Admn. II.—In pursuance of O.M. No. 32014/1/2007-CAS dated 02.04.2008 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the date as indicated against each official, purely on ad-hoc basis, upto 30.06.2008 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officials	Date of their appointment as SO
1.	Ms. Swaran Rudra	02-04-2008 (FN)
2.	Ombir Singh Nirbhaya	02-04-2008 (FN)
3.	Ms. Rita Sachdeva	02-04-2008 (FN)
4.	Jaspal Singh Yadav	02-04-2008 (FN)

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOP.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 25th April 2008

No. A-12011/09/2007-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Dr. Juhangir Aziz as Principal Economic Adviser (Additional Secretary level) in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- on contract basis w.e.f. the forenoon of 25th April, 2008 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

S. K. VERMA, Dir.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 7th April 2008

No. A-19011/281/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Samir Kumar Sinha, IAS(AM : 94) as Deputy Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- with effect from the forenoon of 1st April, 2008 for a period up to 29.03.2011 or until further orders, whichever event takes place earlier. Shri Samir Kumar Sinha counts his Central Deputation tenure with effect from 06.03.2006.

BAI, RAM, Under Secy.

The 8th April 2008

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri T. K. Das, Assistant of CSS of the Cadre of Ministry of Finance to the Section Officers Grade of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Financial Services with effect from the forenoon of 02.04.2008 and for the period up to 30.06.2008 or till regular incumbents become available, which ever is earlier subject to the following condition :—

“The short term promotion will not bestow on him any claim for regular appointment and services rendered by him on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade”.

BAL RAM, Under Secy.

The 16th April 2008

No. A-19012/160/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri D. D. Maheshwari, Section Officer of CSS in the Department of Financial Services, Ministry of Finance to the Grade I (Under Secretary) of CSS purely on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 10th April, 2008 and until further orders.

The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad-hoc appointments shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) He shall require to undergo and successfully complete the level 'D' Training of the C.S.S. within a period of two years.
- (iv) The aforesaid appointment shall further be subject to the Order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

BAL RAM, Under Secy.

The 22nd April 2008

No. A-19011/283/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Sumita Dawra, IAS(AP : 91) as Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from the forenoon of 21st April, 2008 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

BAL RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 12th March 2008

No. PFG(946)/08-Ad. I.—In pursuance to Department of Personnel and Training's Order No. 5/11/2007-CS. II dated 07 February, 2008 and consequent on her being relieved from the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Order No. A-32014/1/2006-Ad. I(i) dated 10.03.2008, Smt. M. Jayalakshmi, Private Secretary of CSSS has assumed the charge of the post of Private Secretary in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 10th March, 2008.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 21st April 2008

No. A-22012/1/2007-Ec.Ad. (Admn. I).—Consequent on her promotion to Grade IV of Indian Economic Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- vide Department of Economic Affairs, Order No. 13016/4/2006-IES dated 08.02.2008, Smt. Renu Bhatnagar has assumed the charge of the post of Assistant Director in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry with effect from the afternoon of 11th April, 2008.

SAMARENDRA SAHU, Addl. Economic Adviser

DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 23rd April 2008

No. A-38012/2/2008-Cadre.—On attaining the age of superannuation, Shri Tek Chand Hingorani, Under Secretary (CSL No. 3621 : DOB : 27.03.1948) of CSS Cadre of Supply Division, has retired from Government service with effect from the afternoon of March 31, 2008.

JOSE THOMAS, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 23rd April 2008

No. 8/2008 (A-12022/8/2005-Estt.).—In partial modification of the Ministry of Textiles, Notification No. 7/2006 dated 03.04.2006, the tenure of Shri Bhupendra Singh, IAS (UP : 85) as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, will be upto 09.01.2010 or until further orders, whichever is earlier.

MUKTA NIDHI SAMNOTRA, Dir.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 7th March 2008

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/21/2005-CS. II dated the 31st March, 2006, the President is pleased to appoint Shri S. Sreekumar, Stenographer Grade A&B (merged) of

CSSS cadre, borne on the cadre of Ministry of Home Affairs, as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of 3rd March, 2008 and upto 30.06.2008 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 7th April 2008

No. A-32011/1/2008-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/11/2007-CS, II dated 7th February, 2008 and 24th March, 2008, the President is pleased to appoint Shri Jagdish Chand, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS borne on the cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Stenographer Grade 'A&B' [merged] of CSSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on ad-hoc basis in the pay scale of 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 31st March, 2008, initially for the period upto 30.06.2008 or until further orders, whichever is earlier.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 9th April 2008

No. A-12011/4/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar, IAS (AGMUT : 92) as Private Secretary to the Minister of Petroleum & Natural Gas (Shri Murali Deora) on "lateral shift" basis from the post of Private Secretary to MOS (P&NG) (Shri Dinsha J. Patel), at the level of Director, for the balance period of his five years tenure as Private Secretary i.e., upto 09.03.2011 or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever event occurs earliest.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

No. A-32011/3/2007-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/1/2006-CS, I dated 6th February 2008, the President is pleased to appoint Shri U. C. Nangia (CSS) formerly Director in the Ministry of Health and Family Welfare, as, Director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas w.e.f. 6th February, 2008 (FN).

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 17th April 2008

No. A-19011/04/08-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Y. Thangaraj, Private Secretary of CSSS Cadre

of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to the post of Principal Private Secretary (CSSS cadre) purely on ad-hoc basis in the Department of Chemicals & Petrochemicals with effect from the forenoon of 10th April, 2008 and until further orders in pursuance of DoP&T's O.M. No. 05.06.2007-CS-II, dated 4th March, 2008.

2. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in CSSS (PPS Grade) and it may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

R. K. KUREEL, Under Secy.

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES**
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 22nd April 2007

No. A 32013/1/2007-Admin.—In continuation of this Department's notification of even number dated 15.2.2007, the President is pleased to extend the tenure of Dr. Pramod Kumar, a regular Assistant Director, DPE as Deputy Director (ad-hoc) in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, for a further period of six months w.e.f. 15.02.2008 (FN) or until the post in question is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

JYOTI MATHUR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 21st April 2008

No. A-12025/271/2006-CHS, I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dennis Lalrinzuala Khawhring to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 28.03.2007 (FN) until further orders. Dr. Dennis Lalrinzuala Khawhring is posted as Medical Officer under Intelligence Bureau (MHA). Dr. Dennis Lalrinzuala Khawhring shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/163/2006-CHS, I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjay Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 11.03.2007 until further orders. Dr. Sanjay Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Sanjay Kumar shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/86/2006-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shalini Kelkar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 09.04.2007 until further orders. Dr. Shalini Kelkar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Shalini Kelkar shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 24th April 2008

No. A-32020/1/2008-CHS. I.—The President is to announce with regret the sad demise of Dr. Narendra Kumar Chief Medical Officer an Officer of General Duty Medical Officer Sub-Cadre of Central Health Service and was working under Government of National Capital Territory of Delhi, on 12.11.2007.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 25th March 2008

No. A-12025/59/2005-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. M. Maheswari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 9th August, 2007 until further orders. Dr. M. Maheswari is posted as Medical Officer under Port Health Organisation, Mandapam. Dr. M. Maheswari shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 21st April 2008

No. A-2001/1/07/E-I.—In pursuance of Ministry of Home Affairs Office Order No. 5/1/2004/O.L. (Services) dated 26.3.2008, with the approval of the Competent Authority, Shri Ram Kishan Bahti, AD(OL) in the Ministry of Health and Family Welfare presently officiating on adhoc basis is appointed to the post of AD(OL) on the regular basis in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/-, with immediate effect.

P.R.A. NAIR, Under Secy., (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 23rd April 2008

No. A-38012/6/2007-Admn.-I.—On attaining the age of superannuation Dr. Gautam Debnath, Addl. DDG (M) in the Directorate General of Health Services has retired from Government service with effect from 31.03.2008 (Afternoon).

ARUN CHOWDHURY, Dy. Dir. Admn. (AC)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 15th April 2008

No. 4-8/2003-Fy. Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ravi Sankar Nemani to the post of Assistant Director (Civil Engineering), (General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on temporary basis w.e.f. 17.03.2008 (FN).

He will be placed on probation for a period of two years from the date of his appointment.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 21st April 2008

No. A-19013/3/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri R. M. Misra, IFS (RJ : 82) as Deputy Inspector General of Forests in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 11th April, 2008 for a period till completion of his normal central tenure of 5 years i.e. upto 10.04.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. S. GARG, Dir.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 22nd April 2008

No. F. 1-18/2004-Y.S. I.—In pursuance of Rule 9(a) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Ms. Meenakshi Natrajan, Vice-Chairperson is re-nominated to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

2. The term of membership of Ms. Meenakshi Natrajan will be three years w.e.f. 16.05.2008 to 15.05.2011 or till further orders, which ever is earlier. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

SARADA ALI KHAN, Dir. (YA)

New Delhi-110001, the 25th March 2008

No. PF/D/30-Admn.—The President is pleased to appoint Shri D. P. Bhardwaj, an Officer of the Central Secretariat Service as Deputy Secretary in the Ministry of Youth Affairs & Sports in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 29th February, 2008 (FN).

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th April 2008

No. 12025/1/2002-Estt. (pt.).—Consequent upon her nomination by UPSC vide their letter No. 3/45(4)/2007-ADT. 2 dated 21.01.2008, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Punam Srivastava, Senior Research Officer, Planning Commission to the post of Joint Director (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) on deputation basis in the Ministry of Tribal Affairs in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- for a period of three years with effect from the afternoon of 28th March, 2008 or until further orders whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 11th April 2008

No. 4801/1/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Sirohi, IAS (MP : 74) as Secretary in the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) with effect from the forenoon of 03.03.2008.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 24th April 2008

No. A-12025/1/2008-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Mathura Prasad, a Grade I officer of Central Secretariat Official Language Services to the post of Director (OL) in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- on ad-hoc basis with effect from 17.04.2008 (F/N) for a period of one year or till regular incumbent to the post becomes available or till further orders, whichever is earlier.

RAJESHWAR DAYAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd April 2008

No. E(GP) 2002/1/49.—In partial modification of this Ministry's notifications No. E(GP) 2002/1/49 dated 9.11.2006 and No. E(GP) 2003/1/49 dated 09.11.2006, the President is pleased to appoint the undermentioned 2 Group 'B' officers of Civil Engg. Department of South Eastern Railway, to Group 'A'/Jr. Scale of the Indian Railway Service of Civil Engg. (IRSE) w.e.f. the dates specified therein :—

Name of officer	Date of effect
1	2

(S/Shri)

Panel for the year 2003-04

South Eastern Railway

1. Anrudha Sahu (now working in ECoR) 17.02.2005

1

2

Panel for the year 2003-04 (supplementary)

South Eastern Railway

1. S. K. Acharya (now working in ECoR) 14.09.2006

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board

The 23rd April 2008

No. ERB-1/2007/10/4.—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.03.2008 :—

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (i) Shri Rajesh Rabi | Deputy Director. |
| (ii) Shri S. C. Sehgal | Section officer. |
| (iii) Shri M. R. Sharma | Section officer. |

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board.

No. E(GP) 2007/3/17A.—The President is pleased to approve of Shri Mohinder Singh (SC), Inspector (Group 'C') of Railway Protection Force of Indian Railways being appointed on regular basis to the post of Assistant Security Commissioner in Junior Scale of Group 'A' with effect from 04.06.2004, against the panel for the year 2001.

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 9th April 2008

No. A-32014/1/2007-E.I.—The President is pleased to appoint the following regular Assistants (CSS) as Section Officers (CSS) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways on ad-hoc basis w.e.f. 31.03.2008 (F.N.) upto the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date upto which ad-hoc promotion is effective
1.	Shri A. K. Ranjan	30.06.2008
2.	Shri M. S. Kainth	30.06.2008
3.	Shri S. C. Sud	28.06.2008
4.	Shri A. M. Mehta	28.06.2008

2. The ad-hoc appointment is purely temporary and does not confer any right to continue in the grade indefinitely or

for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer grade of CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 25th April 2008

No. 09/2008. (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I).—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of assumption of charge
1.	Shri Om Kant Shukla	17.03.2008 (Forenoon)
2.	Shri Somen Barma	02.04.2008 (Forenoon)

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 10/2008. (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I).—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, in the Central Electricity Authority, retired from service under the Government of India in the afternoon of the date mentioned against each, on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Superannuation
1.	Shri K. S. Mundi	Assistant Director-I	29-02-2008
2.	Shri R. K. Agrawal	Director	31-03-2008

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 11/2008. (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I).—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Abhay Kumar Gupta, Assistant Director-I of the Central Power Engineering (Group 'A') Service in the Central Electricity Authority on his appointment in the Ministry of Railways, with effect from 11-12-2007 (A.N.).

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 12/2008. (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I).—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Mukesh Kumar Marothia, Assistant Director-I of the Central Power Engineering (Group 'A') Service in the Central

Electricity Authority on his appointment in the Military Engineering Service, with effect from 07-03-2008 (A.N.).

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 13/2008. (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I).—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, in the Central Electricity Authority, retired from the Government of India Service under the Scheme of Voluntary Retirement under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 on the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of voluntary retirement
1.	Shri J. N. Mathur	Director	24-03-2008 (F/N)
2.	Shri M. Subramanian	Chief Engineer	25-03-2008 (F/N)

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 3rd April 2008

No. A-12018/4/2005-Admn./SFS/SS.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Tiwari to the post of Deputy Commissioner of Security (Civil Aviation) in the Bureau of Civil Aviation Security in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- plus special allowance of Rs. 1,000/- per month on absorption basis with effect from the forenoon of 4th June, 2007.

S. GOWRI SHANKAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st April 2008

No. 3/2008. (F. No. 3/9/2004-EI).—The President is pleased to appoint, on promotion, on regular basis, the following Extra Assistant Directors of the Central Water Engineering (Group-'B') Service, to the Junior Time Scale of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000-13,500/- with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Joining
1	2	3
	S/Shri	
1.	Arjun Prasad	27-02-2007 (FN)
2.	Anil Kumar Singh	29-03-2007 (FN)
3.	Anil Kumar Sinha	29-03-2007 (FN)
4.	Kameshwar Tiwari	22-02-2007 (FN)
5.	Arun Kumar Jha	22-02-2007 (FN)

1	2	3
	S/Shri	
6.	Brij Kishore	22-02-2007 (FN)
7.	Radhey Shyam Singh	22-02-2007 (FN)
8.	M. P. Singh	21-02-2007 (FN)
9.	Ashok Kumar Singh	08-10-2007 (FN)
10.	V. Ramesh	05-03-2007 (FN)
11.	Ajay Kumar Sinha	29-10-2007 (FN)
12.	N. Krishnappa	26-02-2007 (FN)
13.	S. A. Khan	21-02-2007 (FN)
14.	Devendra Prasad Singh	22-02-2007 (FN)
15.	Abhey Kumar Singh	22-02-2007 (FN)
16.	A. K. L. Das	20-02-2007 (FN)
17.	H. Z. Qureshi	20-02-2007 (FN)
18.	R. K. Jha	27-02-2007 (FN)

1	2	3
	S/Shri	
19.	Sis Pal Gill	04-05-2007 (FN)
20.	P. Rajendran	20-02-2007 (FN)
21.	Guruprasad J.	21-02-2007 (FN)
22.	D. K. Gangadhar	21-02-2007 (FN)
23.	A. Tharanirajan	21-02-2007 (FN)
24.	Ajay Kumar	23-02-2007 (FN)
25.	R. K. Behera	23-02-2007 (FN)
26.	N. C. Nanda	23-02-2007 (FN)
27.	A. Krishna Rao	22-02-2007 (FN)

2. The above officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining mentioned against each, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.